राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
268 / 14	19.09.2014	28.08.2018

अनुवान

1. बाबूलाल पुत्र श्रीराम जाति अहीर निवासी मोलावास तहसील मुण्डावर, अलवर
2. कृष्णा देवी पुत्री श्रीराम जातियान अहीर निवासीयान मोलावास तहसील मुण्डावर हाल निवासी देवला बास तहसील व जिला रेवाडी, हरियाणा।

:–वादीगण

बनाम

1. कमला देवी पत्नी स्व0 रामेश्वर जाति अहीर निवासी मोलावास तहसील मुण्डावर
2. भूपसिंह उर्फ हरि
3. संतराम पुत्रान रामेश्वर जातियान अहीर निवासीयान मोलावास तहसील मुण्डावर
4. सुमित्रा
5. बुबल
6. सुशीला पुत्रीयान रामेश्वर जातियान अहीर निवासीयान मोलावास तहसील मुण्डावर
7. कमली पत्नी स्व0 सुबेसिंह जाति अहीर निवासी मोलावास तहसील मुण्डावर
8. हितेन्द्र पुत्र सुबेसिंह जाति अहीर निवासी मोलावास तहसील मुण्डावर
9. गीता
10. सीमा
11. बबली
12. नीलम पुत्रीयान सुबेसिंह जातियान अहीर निवासीयान मोलावास तहसील मुण्डावर
13. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
14. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– प्रतिवादीगण

15. हजारीलाल
16. इन्द्राज पुत्रान दीनाराम
17. हिम्मत सिंह

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

18. शीशराम पुत्रान यादराम
19. जाग्रिता पुत्री यादराम
20. शिक्षा देवी पत्नी स्व0 यादराम जातियान अहीर निवासीयान मोलावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– तर0 प्रतिवादीगण

दावा– इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हु0ई0दवामी
राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति :

1. श्री श्रीपाल सिंह चौधरी वकील–वादीगण

–:: निर्णय::–

दिनांकः– 28.08.2018

आज यह वाद पत्र पत्रावली वास्ते सुनाये जाने निर्णय आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि विवादित हाल आराजी ख0न0 663/0.22 साबिक ख0न0 471 रकबा 17 बिस्वा से एवं हाल ख0न0 706/0.29 साबिक ख0न0 497 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा से पैमूद किया जाकर वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर का 1/2 भाग विवादित आराजी कहलायेगी। साबिक ख0न0 471 एवं 497 गणपत पुत्र फूसाराम जाति अहीर निवासी जालावास के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है। जिसे मिनवादीगण के पिता श्रीराम व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पिता/पति रामेश्वर व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 के पिता/पति सुबेसिंह ने 1/2 भाग व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता/पति दीनाराम ने 1/2 विवादित आराजी को गणपत पुत्र फूसाराम से जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 09.07.1973 को बऐवज प्रतिफल मय कब्जा खरीद किया था तथा वक्त खरीद से ही काबिज होकर अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है एवं उक्तानुसार ही बैयनामा के आधार पर इंतकाल संख्या 84 व 85 दिनांक 15.06.1977 को दर्ज व मंजूर हो गया। राजस्व कर्मचारियो द्वारा संवत 2037 की जमाबंदी तैयार करते समय मिनवादीगण के पिता के नाम का अंकन दर्ज नहीं किया तथा खिलाफ मौका व खिलाफ कानून प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के पिता/पति व प्रतिवादीगण संख्या 7 लगा0 12 के पिता/पति के नाम 1/2 भाग का

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज0

अंकन दर्ज कर दिया व 1/2 भाग का अंकन तर0 प्रतिवादीगण के पिता/पति के नाम का अंकन दर्ज कर दिया। जबकि मिनवादीगण के पिता का नाम प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व 7 ल0 12 के पिता/पति के साथ दर्ज करना चाहिए था। लेकिन मिनवादीगण के पिता का नाम का अंकन दर्ज नहीं कर मिनवादीगण के पिता का नाम हजफ कर दिया। जिसका उनको हफज करने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है जो गलत अंकन संवत 2037 से ता हाल चला आ रहा है। जिस गलत अंकन को मिनवादीगण हजफ कराकर अपने नाम 1/3 संभाग दर 1/2 की खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। दिनांक 24.06.2013 को रिकार्ड की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई। जिस पर साबिक नकुलाय प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 से रिकार्ड दुरूस्त कराने बाबत कहा तो आजकल आजकल करते रहे और दिनांक 20.07.2014 को मना कर दिया तथा ऐलानिया धमकी दी कि रिकार्ड में हमारे नाम है जिसको हम बेचान कर देगें, तुम्हें बेदखल कर कब्जा ले लेगें, तुम्हे जो करना हो कर लेना। बस यही वाद हेतु बिनाय दावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होती है। यदि वाकई में अपने नापाक इरादों में वे कामयाब हो गये तथा गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर आराजी का बेचान कर दिया तो मिनवादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति कारित होगी तथा दावा करना ही बैमायना हो जावेगा। चूंकि मिनवादीगण के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए अपने अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद कराने की अधिकारी है। मिनवादीगण का पिता फौत हो चुका है इसलिए वाद मिनवादीगण के द्वारा पेश किया जा रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ल0 6 व 7 ल0 12 के पिता/पति फौत हो चुके है इसलिए उनके वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है व तर0 तरतीबी प्रतिवादीगण का पिता भी फौत हो चुका है जिनके वारिसान को तर0 प्रतिवादीगण की जद में पक्षकार बनाया गया है। जिनसे कोई रिलीफ नहीं चाही गई है का निवेदन करते हुए वाद वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ल0 12 निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस अमर की पारित की जावे कि हाल ख0न0 663/0.22, 706/0.29 है0 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर का मिनवादीगण को 1/3 संभाग दर 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रतिवादीगण असल का नाम मिनवादीगण के हिस्से तक हजफ किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे एवं डिक्री हु0ई0दवामी से प्रतिवादी संख्या 1 ल0 12 को पाबंद किया जावे कि वे उपरोक्त विवादित आराजी को कही रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुंतकिल ना करें, ना ही मिनवादीगण को आराजी से बेदखल करें, ना ही काश्त कार्य में मजामहत ही पैदा करें, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादीसंख्या 2, 3, 8, 15, 16, 18, 20 जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आये एवं शेष प्रतिवादीगण बावजूद विधिवत तलबी अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 3, 15, 16, 18, 20 ने जर्ये अधिक्ता अपना इकबाल जवाब दावा पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 8 को बार—बार जवाब हेतु अवसर दिये जाने उपरांत जवाब दावा पेश नहीं किये जोन की स्थिति में उनके जवाब प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी संवत् 2067—70 प्रदर्श—1, नकल बैयनामा दिनांक 09.07.1973 प्रदर्श—2, नकल जमाबंदी संवत 2037 प्रदर्श—3, नकल जमाबंदी 2043 प्रदर्श—4, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श—5, नकल जमाबंदी संवत 2033 प्रदर्श—6, नकल जमाबंदी सेटलमेंट संवत 2029 किता 2 प्रदर्श—7, नकल इंतकाल संख्या 84 दिनांक 15.06.1977 प्रदर्श—8, नकल इंतकाल संख्या 85 दिनांक 15.06.1977 प्रदर्श—9 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र बाबूलाल पीडब्ल्यू—1, हजारी लाल पीडब्ल्यू 2, घासीराम पीडब्ल्यू—3 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दौराने बहस वकील वादी ने वादीगण के वादपत्र के जिमनो को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी मिनवादीगण के पिता श्रीराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल0 6 के पिता/पति रामेश्वर व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 के पिता/पति सुबेसिंह ने विवादित आराजी के 1/2 भाग व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता/पति दीनाराम ने 1/2 भाग को जर्ये बैयनामा दिनांक 09.07.1973 के बएवज

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

प्रतिफल मय कब्जा खरीद किया था व वक्त खरीद से आज तक उक्त हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। मुताबिक बैयनामा के इंतकाल संख्या 84 व 85 दिनांक 15.06.1977 को मंजूर हो गये थे। लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा संवत 2037 की जमाबंदी तैयार करते समय मिनवादीगण के पिता के नाम का अंकन नहीं किया। जबकि मिनवादीगण के पिता का नाम प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व 7 लगायत 12 के पिता/पति के साथ संभाग में 1/2 भाग का दर्ज करना चाहिए था का निवेदन करते हुए वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

वादीगण ने अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से साबित किया है जिनके अनुसार प्रस्तुत बैयनामा दिनांक 15.06.1977 प्रदर्श–2 वं नामांतकरण संख्या 85 प्रदर्श–9, एवं नकल जमाबंदी संवत 2037 प्रदर्श–3 के अवलोकन एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः यह न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आराजी ख0न0 663/0.22, 706/0.29 है0 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर के 1/2 भाग के बाबत का वाद वादीगण डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के 1/2 भाग पर से वादीगण के हिस्से तक हो रहे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 व 7 लगायत 12 के नाम का अंकन हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त विवादित आराजी का वादीगण को 1/3 भाग संभाग में दर 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 को डिक्री हु0ई0दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी के बाबत हाल राजस्व रिकार्ड में हो रहे गलत अंकन के आधार पर आराजी को कही रहन बैय इत्यादि से मुतंकिल ना करे, ना ही वादीगण के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की मजामहत पैदा ही करे। उक्तानुसार हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

28/8/18

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
268/14	19.09.2014	28.08.2018

अनुवान

1. बाबूलाल पुत्र श्रीराम जाति अहीर निवासी मोलावास तहसील मुण्डावर, अलवर
2. कृष्णा देवी पुत्री श्रीराम जातियान अहीर निवासीयान मोलावास तहसील मुण्डावर हाल निवासी देवला बास तहसील व जिला रेवाडी, हरियाणा।

:–वादीगण

बनाम

1. कमला देवी पत्नी स्व0 रामेश्वर जाति अहीर निवासी मोलावास तहसील मुण्डावर
2. भूपसिंह उर्फ हरि
3. संतराम पुत्रान रामेश्वर जातियान अहीर निवासीयान मोलावास तहसील मुण्डावर
4. सुमित्रा
5. बुबल
6. सुशीला पुत्रीयान रामेश्वर जातियान अहीर निवासीयान मोलावास तहसील मुण्डावर
7. कमली पत्नी स्व0 सुबेसिंह जाति अहीर निवासी मोलावास तहसील मुण्डावर
8. हितेन्द्र पुत्र सुबेसिंह जाति अहीर निवासी मोलावास तहसील मुण्डावर
9. गीता
10. सीमा
11. बबली
12. नीलम पुत्रीयान सुबेसिंह जातियान अहीर निवासीयान मोलावास तहसील मुण्डावर
13. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
14. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– प्रतिवादीगण

15. हजारीलाल
16. इन्द्राज पुत्रान दीनाराम

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर
राजस्व वाद संख्या :– 268/14
बाबूलाल बनाम कमला देवी
निर्णय दिनांक :– 28.08.2018

17. हिम्मत सिंह
18. शीशराम पुत्रान यादराम
19. जाग्रिता पुत्री यादराम
20. शिक्षा देवी पत्नी स्व0 यादराम जातियान अहीर निवासीयान मोलावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– तर0 प्रतिवादीगण

दावा– इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हु0ई0दवामी राज0काश्त0अधि0 1955

<u>–::पर्चा डिक्री::–</u>

दिनांकः– 28.08.2018

वादीगण की ओर से **श्री श्रीपाल सिंह चौधरी वकील** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 28.08.2018 को **साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

आराजी ख0न0 663/0.22, 706/0.29 है0 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर के 1/2 भाग के बाबत का वाद वादीगण डिकी किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के 1/2 भाग पर से वादीगण के हिस्से तक हो रहे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 व 7 लगायत 12 के नाम का अंकन हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त विवादित आराजी का वादीगण को 1/3 भाग संभाग में दर 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 को डिकी हु0ई0दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी के बाबत हाल राजस्व रिकार्ड में हो रहे गलत अंकन के आधार पर आराजी को कही रहन बैय इत्यादि से मुतंकिल ना करे, ना ही वादीगण के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की मजामहत पैदा ही करे। उक्तानुसार हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 28.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

28/8/18

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner